तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज रामरतन जलियावड़ा बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ) सू.अ.अ. अपील संख्या 73 / 2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.06..20	अपीलार्थी रामरतन जलियावड़ा पुत्र प्रभुराम पता ग्राम बारनीखूर्द तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.02.20 में उसके द्वारा (1) बारनीखूर्द राजस्व गांव मे खरीफ फसल 2018 में अनियमित वर्षा के कारण आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा मुआवजा प्रदान किये गये तथा अभी तक लम्बित किसानों की केवल लाभांष राशि सहित सूची, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 90 दिनांक 11.03.20 के जरिये किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थीपक्ष अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ) से आज दिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	